



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 20, 2011  
(SRAVANA 29, 1933 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 20th August, 2011

**No. 18—HLA of 2011/54.**—The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 18—HLA of 2011**

### THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2011

**A**

**BILL**

*further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows: —

**1.** This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2011. Short title.

**2.** In clause (zg) of sub-section (1) of section 2 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (hereinafter called the principal Act), after explanation (iv), the following explanation shall be added, namely: — Amendment of section 2 of Haryana Act 6 of 2003.

“(vi) The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer.”.

Amendment of  
section 35 of  
Haryana Act 6 of  
2003

3. In sub-section (2) of section 35 of the principal Act, for the words “one year”, the figure and word “180 days” shall be substituted.

Amendment of  
section 36 of  
Haryana Act 6 of  
2003

4. For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

**“36. Appeal to High Court.—** (1) An appeal shall lie to the High Court from every order passed in appeal including order passed by the Tribunal under sub-section (5) of section 56 or review by the Tribunal, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(2) The Commissioner or a person aggrieved by any order passed by the Tribunal, may file an appeal to the High Court and such appeal shall be—

(a) filed within a period of sixty days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person or the Commissioner; and

(b) in the form of a memorandum of appeal, precisely stating therein the substantial question of law involved.

(3) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question.

(4) The appeal shall be heard only on the question so formulated and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question.

Provided that nothing in this section shall be deemed to take away or abridge the power of the High Court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.

(5) The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deems fit.

(6) The High Court may determine any issue which

(a) has not been determined by the Tribunal; or

(b) has been wrongly determined by the Tribunal, by reason of a decision on such question of law as is referred to in sub-section (1).

(7) The payment of any amount due to be paid by a person in accordance with the order of the Tribunal in respect of which an appeal has been preferred under this section shall not be stayed by the High Court pending the final disposal of such appeal but if such amount is reduced as a result of such appeal, the excess tax, penalty, interest or sum forfeited shall be refunded in accordance with the provisions of section 20 of this Act.

(8) An aggrieved party may file an appeal within a period of sixty days of the notification of this amendment against the orders of the Tribunal, irrespective of the fact that an application under pre-amended sub-section (1) of section 36 is pending before the Tribunal or the same has been refused by the Tribunal and the aggrieved party has already moved an application before the High Court under sub-section (2) against the refusal, and the appeal so filed shall be disposed off in accordance with the provisions of this section:

Provided that applications pending with the Tribunal under pre-amended sub-section (1) of section 36 for making reference shall be deemed to have been withdrawn by the aggrieved party for filing appeal as per this provision.

(9) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) relating to appeals to the High Court shall, as far as may be, apply in the case of appeal or review under this section.”.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The amendment Bill has been proposed with a view to ensure proper realization of VAT on sale of petrol and diesel from retail out-lets viz the pump owners who in turn receive their supplies from the oil companies. At present, VAT is levied at the sale price on which the oil companies are selling petrol or diesel to retail out-lets. It is proposed that to streamline the VAT collection process and to make way for an easier adjustment/refund of tax by making a provision wherein VAT from oil companies is collected by considering the sale price of petrol and diesel from the out-lets.

Further, with a view to reduce the time limit from one year to 180 days for filing review application in the Tribunal, an amendment in Section 35(2) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 is proposed. Time limit of 180 days is considered sufficient for this purpose.

Amendment in Section 36 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 is proposed to substitute the existing provision of making reference to the High Court with a provision for direct appeal to the High Court from decision of the Tribunal on a point of law. This would lead to expeditious disposal of the cases as compared to the present situation.

Hence, this Bill.

KIRAN CHOUDHRY,  
Excise and Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 20th August, 2011.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 18-एच० एल० ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011  
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003,  
को आगे संशोधित करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में  
यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकता है। संशोधन नाम
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इससे, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (य छ) में, व्याख्या (iv) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ दी जाएगी, अर्थात्- 2003 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 2 (क) संशोधन।

“(v) राज्य में खुदरा बाजार में लीजल तथा पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य राशि उस कीमत जिस पर खुदरा बाजार उपभोक्ता को इन वस्तुओं को बेचते हैं, के समकक्ष समझी जाएगी।”।
3. मूल अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा 2 में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “180 दिन” अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 2003 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 35 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् -- 2003 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 3 (5) संशोधन।

“36 उच्च न्यायालय को अपील.— (1) धारा 56 की उप-धारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश या अधिकरण द्वारा पुनरीक्षण सहित अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय की सन्तुष्टि हो जाती है कि मामले में सारभूत विधि प्रश्न अंतर्बलित है

(2) अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित आयुक्त या कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है तथा ऐसी अपील- -

(क) उस तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिसको व्यथित व्यक्ति या आयुक्त द्वारा अपीलीय आदेश प्राप्त किया गया है, तथा

(ख); अपील के निपटन काल में, इसमें अंतर्वर्तित सारभूत विधि प्रश्न यथावत् कथित करने हुए होंगे।

- (3) जहां उच्च न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि किसी मामले में सारभूत विधि प्रश्न अंतर्वर्तित है, तो यह उस प्रश्न को निश्चित करेगा।
- (4) अपील केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर सुनी जाएगी तथा प्रतिवादी को अपील की सुनाई पर बहस करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वर्तित नहीं है।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे विधि का कोई अन्य सारभूत प्रश्न जो इसके द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, पर अपील की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छिनने या न्यून करने के लिए नहीं समझी जाएगी यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वर्तित है।

- (5) उच्च न्यायालय इस प्रकार निश्चित किये गये विधि के प्रश्न को निर्णीत करेगा तथा उस पर ऐसे आधारों से युक्त जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, ऐसा न्याय निर्णय देगा तथा ऐसा खर्चा दिलवा सकता है जो वह उचित समझे।
- (6) उच्च न्यायालय कोई वादविषय अवधारित कर सकता है जो

(क) अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है; या

(ख) अधिकरण द्वारा विधि के ऐसे प्रश्न पर किसी निर्णय के कारण गलती से अवधारित किया गया है जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

- (7) अधिकरण के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली किसी देय राशि का भुगतान जिसके सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अपील की गई है उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अपील के अन्तिम निपटान के लम्बित रहते हुए स्थगित नहीं किया जाएगा किन्तु यदि ऐसी राशि ऐसी अपील के परिणामस्वरूप घटा दी गई है, तो अधिक कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माना की गई राशि इस अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार वापस ली जाएगी।
- (8) कोई व्यक्ति पक्षकार अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध इस संशोधन की अधिसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर अपील दायर कर सकता है, तथा पर विचार किये बिना कि कोई आवेदन धारा 36 की पूर्व-संशोधित उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष लम्बित है या वह अधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तथा व्यक्ति पक्षकार ने अस्वीकृति के विरुद्ध उप-धारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही कोई आवेदन किया हुआ है, तथा इस प्रकार दायर की गई अपील इस धारा के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएगी।

परन्तु धारा 36 की पूर्व-संशोधित उप-धारा (1) के अधीन सदमे करने के लिए अधिकरण के पास लम्बित आवेदन इस उपबन्ध के अनुसार अपील दायर करने के लिए व्यक्ति पक्षकार द्वारा वापस लिये गये समझे जाएंगे।

- (9) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उच्च न्यायालय को अपील सम्बन्धी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, 1908 आ 3) के उपबन्ध जहां तक हो सके इस धारा के अधीन अपील या पुनरीक्षण के मामले में लागू होंगे।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

संशोधन विधेयक पेट्रोल तथा डीजल की खुदरा विक्रय केन्द्रों अर्थात् पम्प मालिकों पर होने वाली बिक्री पर वेट की वसूली के दृष्टिगत प्रस्तावित किया गया है, जो कि अपनी अपूर्ति तेल कम्पनियों से करते हैं। वर्तमान में वेट, पेट्रोल तथा डीजल की खुदरा कीमत पर जो तेल कम्पनियां खुदरा विक्रय केन्द्रों को दे रही हैं, पर लगाया जाता है। बिना बाधा वेट संग्रह प्रक्रिया के एकीकरण कर वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रावधान का प्रस्ताव किया जाता है, जिसके तहत तेल कम्पनियों से पेट्रोल तथा डीजल की विक्रय मूल्य पर वेट की वसूली की जाती है।

आगे, कर अधिनियम में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करने की सीमा को एक साल से घटाकर 180 दिन करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 35 (2) के संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। 180 दिन की समय सीमा उक्त कार्य के लिये पर्याप्त है।

किसी कानूनी बिन्दु पर न्यायाधिकरण के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा वेट की धारा 36 में विद्यमान नियम के स्थापन बारे, संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। यह वर्तमान परिस्थितियों के मुकाबले, केसों के अविलम्ब निपटारे में सहायक होगा।

अतः, यह विधेयक।

किरण चौधरी,  
आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
20 अगस्त, 2011

सुमित कुमार,  
सचिव।